## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

	च्यायिक विकास Complaint or report madeon
Name and	d address of the Complainant
	ग्रामन सक्राह्म स्वाह
***************************************	
•	
	Name , parentage, caste and address of accused
\$ 100	व्यास हो है सामाय है। है कि स्वार्थ
	10
	अपन्य का अभिक्षोग है। सक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट-पर अपराध
	सनाये एवं रामझाये जाने पर अधियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/स्मुग्रहा स्वीका
	The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
17 8 17 84361 1-7	्आप पर आरोप है कि दिनांक <sup>१</sup> छिन्। मुकार
IN POLE	पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
	में ब्रीटर/पाव/ब्रोतल २, और शराब विकथ/परिवहन हेतु रखी।
आधिपत्य ।	
	ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध का	ारित किया 🕒 १–४६ छात्र कि अध्य प्रकार प्रकार कि स्वापन
	क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	9
	प्याप्त क्रिया प्राचा है। अर्थवण्ड स बदाये जाने पर्व रेड
	The plea of the accused and his examination (if any)
^	
	कार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
	प्रस्तित के प्रमाणित के जिल्हा सम्पतित के जिल्हा है है है
	Q
	म विवाद विविद्या प्राप्त के लिए प्राप्त विविद्या है विविद्या है ।
- 6	विकार्य। गोहद् जिला-मिण्ड (म
• 1	e proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of

## //निर्णय//

## (आज दिनांक १६,८.१७ को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये ....... शब्दों में कि जिल्हा के साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04. पावशुदा सम्पत्ति लीटर/पाव/बोतल होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर देखिला कृणा भारत साज पर देखिला कृणा मोहद्द जिला-मिण्ड (म.स.)